



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 469 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05/ जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

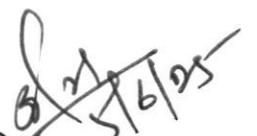
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री ईश्वर सिंह रावत, सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून (सुगम) में शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री ईश्वर सिंह रावत, सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/देहरादून।
- 8- श्री ईश्वर सिंह रावत, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 471 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री शेषराज, सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री शेषराज, सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल /पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड मुख्यालय देहरादून/कोटद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 8- श्री शेषराज, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 475 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

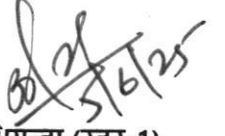
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री शुभम कुमार सैनी, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (सुगम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात)** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री शुभम कुमार सैनी, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार/चमोली।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/पौड़ी।
- 8- श्री शुभम कुमार सैनी, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 479 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री अरूण चौकियाल, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून (सुगम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात)** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री अरूण चौकियाल, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

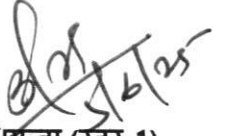
60/25/25
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड /चमोली।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 8- श्री अरूण चौकियाल, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 483 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

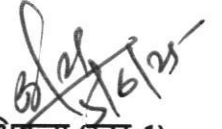
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री गिरिजेश्वर तिवारी, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात)** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री गिरिजेश्वर तिवारी, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल /पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड मुख्यालय देहरादून/चम्पावत।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/चम्पावत।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/चम्पावत।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चम्पावत।
- 8- श्री गिरिजेश्वर तिवारी, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 499 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

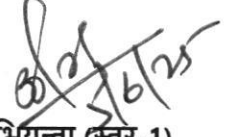
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री नीरज चन्द्र ओली, सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री नीरज चन्द्र ओली, सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 8- श्री नीरज चन्द्र ओली, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख् अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 512 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

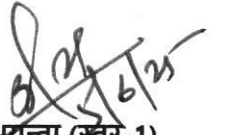
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री रियासत अली अंसारी, सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडिहाट (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री रियासत अली अंसारी, सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडिहाट से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडिहाट/देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
- 8- श्री रियासत अली अंसारी, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडिहाट।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 529 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्ट, सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्ट, सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली/मुख्यालय देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- 8- श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्ट, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 543 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

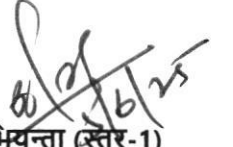
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री रवेन्द्र सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री रवेन्द्र सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी/देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 8- श्री रवेन्द्र सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 523 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री ललित मोहन जोशी, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग)** के अनुसार किया जाता है।

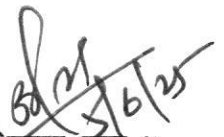
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री ललित मोहन जोशी, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 5- जिलाधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 8- श्री ललित मोहन जोशी, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 540 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

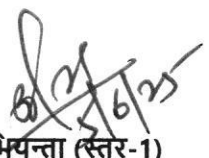
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री शमशाद मोहम्मद खान, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर (सुगम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग)** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री शमशाद मोहम्मद खान, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 5- जिलाधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 8- श्री शमशाद मोहम्मद खान, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 535 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री चारू चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल) (सुगम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर (सुगम)** में शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री चारू चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल) से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

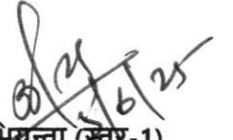
**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल /नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड /ऊधमसिंहनगर।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 8- श्री चारू चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

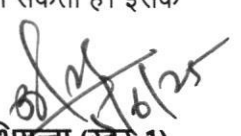
पत्रांक:- 544 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री रमेश चन्द्र थपलियाल, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम)** से **कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम)** में शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री रमेश चन्द्र थपलियाल, सहायक अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**प्रतिलिपि:-****निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/मुख्यालय देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/देहरादून।
- 8- श्री रमेश चन्द्र थपलियाल, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 505 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री ओम प्रकाश भट्ट, सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर (सुगम) से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल) (सुगम) में शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार किया जाता है।

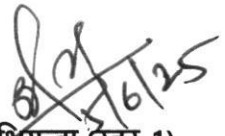
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री ओम प्रकाश भट्ट, सहायक अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल) से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर/।
- 5- जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 8- श्री ओम प्रकाश भट्ट, सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



Website: www.res.uk.gov.in

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक :- 473 / ग्रा0नि0वि0 / स्थानान्तरण / 2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

"कार्यालय आदेश"

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023 /XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2) E-33080 दिनांक 10 मई 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर प्रखण्ड हरिद्वार में दिनांक 30.11.2025 को श्री माया सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष विभाग में कार्यरत श्री आलोक सिंह, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार प्रखण्ड घनसाली से प्रखण्ड हरिद्वार में किया जाता है। श्री आलोक सिंह, सहायक अभियन्ता दिनांक 01.12.2025 को प्रखण्ड हरिद्वार में योगदान करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 01.12.2025 से प्रभावी होगा।

ह0/-

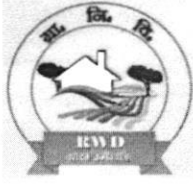
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड घनसाली/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, घनसाली/हरिद्वार।
- 8- श्री आलोक सिंह, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड घनसाली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



Website: www.res.uk.gov.in

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक :- 447 / ग्रा0नि0वि0 / स्थानान्तरण / 2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

"कार्यालय आदेश"

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023 /XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2) E-33080 दिनांक 10 मई 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर प्रखण्ड हरिद्वार में दिनांक 30.11.2025 को श्री इन्द्र सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष विभाग में कार्यरत श्री सुदेश कुमार, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (पांच) के अनुसार प्रखण्ड कोटद्वार से प्रखण्ड हरिद्वार में किया जाता है। श्री सुदेश कुमार, सहायक अभियन्ता दिनांक 01.12.2025 को प्रखण्ड हरिद्वार में योगदान करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 01.12.2025 से प्रभावी होगा।

ह0/-

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, कोटद्वार/हरिद्वार।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोटद्वार/हरिद्वार।
- 8- श्री सुदेश कुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



Website: www.res.uk.gov.in

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक :- 485/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

"कार्यालय आदेश"

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2) E-33080 दिनांक 10 मई 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर प्रखण्ड कोटद्वार में कार्यरत श्री सुदेश कुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 01.12.2025 को प्रखण्ड हरिद्वार में योगदान उपरान्त रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष विभाग में कार्यरत श्री सुनील चन्द्र बहुगुणा, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार प्रखण्ड चमोली से प्रखण्ड कोटद्वार में किया जाता है। श्री सुनील चन्द्र बहुगुणा, सहायक अभियन्ता दिनांक 01.12.2025 को प्रखण्ड कोटद्वार में योगदान करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 01.12.2025 से प्रभावी होगा।

ह0/-

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिरू- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली/कोटद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/चमोली।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, कोटद्वार/चमोली।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोटद्वार/चमोली।
- 8- श्री सुनील चन्द्र बहुगुणा, सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



Website: www.res.uk.gov.in

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक :- 489/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

"कार्यालय आदेश"

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023 /XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2) E-33080 दिनांक 10 मई 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर में श्री नीरज कुमार काण्डपाल, सहायक अभियन्ता के दिनांक 30.06.2025 के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष विभाग में कार्यरत हेमन्त कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार प्रखण्ड पिथौरागढ़ से प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर में किया जाता है। श्री हेमन्त कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता दिनांक 01.07.2025 को प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर में योगदान करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी होगा।

ह0/-

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 5- जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 8- श्री हेमन्त कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



Website: www.res.uk.gov.in

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक :- 493 / ग्रा0नि0वि0 / स्थानान्तरण / 2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

"कार्यालय आदेश"

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023 /XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2) E-33080 दिनांक 10 मई 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर प्रखण्ड नैनीताल में श्री केदार सिंह कोरंगा, सहायक अभियन्ता के दिनांक 30.06.2025 के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष विभाग में कार्यरत श्री सुनील सिंह दत्ताल, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार प्रखण्ड बागेश्वर से प्रखण्ड नैनीताल में किया जाता है। श्री सुनील सिंह दत्ताल, सहायक अभियन्ता दिनांक 01.07.2025 को प्रखण्ड नैनीताल में योगदान करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी होगा।

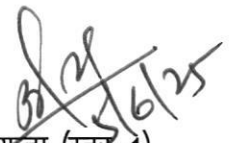
ह0/-

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/बागेश्वर।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 8- श्री सुनील सिंह दत्ताल, सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



Website: www.res.uk.gov.in

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक :- 494 / ग्रा0नि0वि0 / स्थानान्तरण / 2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

"कार्यालय आदेश"

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023 /XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2) E-33080 दिनांक 10 मई 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर प्रखण्ड नैनीताल में श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, सहायक अभियन्ता के दिनांक 30.06.2025 के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष विभाग में कार्यरत श्री राकेश सिंह बिष्ट, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण शासनादेश संख्या-1/120994 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार प्रखण्ड देहरादून से प्रखण्ड नैनीताल में किया जाता है। श्री राकेश सिंह बिष्ट, सहायक अभियन्ता दिनांक 01.07.2025 को प्रखण्ड नैनीताल में योगदान करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी होगा।

ह0/-

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
- 8- श्री राकेश सिंह बिष्ट, सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।